

13881 रसीद दस्तावेज वगैरह

दफ्तर

मुकाम 14

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	13881 रसीद वगैरह	200	

तारीख


14 JUL 1944

उपस्थित अधिकारी,  
देवारा (म.प्र.)





Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code 01011013072021004180  
Total E-Stamp Amount 100  
Govt. Stamp Duty (Rs.) 100 Municipality Duty (Rs.) 0  
Janpad Duty (Rs.) 0 Upkar Amount (Rs.) 0  
Exempted Amount(Rs.) 0

E-Stamp Type NON-JUDICIAL  
Issue Date & Time 13/07/2021 12:29:36  
Service Provider or Issuer Details Hanif Patel/SP011042806201501828  
SP/SRO/DRO/HO Details 461 E.W.S. Vijay Nagar, Dewas M.P. DEWAS DEWAS

Deed Details

Deed Type Copy or Extract  
Deed Instrument Copy or Extract, certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 76 of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- One hundred rupees.  
Purpose Copy or Extract

First Party Details

Name Parveen Khan S/O D/O W/O C/O Parvez Khan  
Address 93 Tilak Nagar DEWAS Madhya Pradesh INDIA  
Number of Persons 1


Second Party Details

Organization Name SR  
Address . DEWAS Madhya Pradesh INDIA  
Number of Persons 1

Copy or Extract



Digitally signed by HANIF  
PATEL  
Date: 2021.07.13 12:29:42  
IST



18  
13891

14 JUL 2021

4089

27 DEC 2008

39692/- 39698  
27.12.08

100000/-  
3000/-  
167/-

50043 = 1500/-  
5043 = 1500/-  
20x1 = 20/-

104,630  
B-381592-54  
K 284252-54  
A 114880

9005 से 9010  
27.12.08

50046 = 3000/-  
B-381752-57

SUBIR ECH-SIPAR  
Dawan Dew

Stamp duty 5/-

Special aekare

Andid B=010000/- 27.12.08  
0080/-  
M.P.

कोता : सुलोचना कौन मोगा शाज लवच रकने  
किहना : सकेप पिना गोकुल राफ जपखिला



हीना केर छा छा जय पाउठम

### बिक्री खत

1389  
14 JUL 2021

ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की कृषि भूमि का विक्रय पत्र  
प्रारूप क्रमांक 3 में स्थित प.ह.नं. 17 सरल क्र. 88 पर स्थित)  
मू-करण पुस्तिका भाग (1) क्रमांक 24435 राजस्व निरीक्षक मंडल-01  
(उक्त भूमि मुख्यमार्ग भोपाल रोड पर स्थित नई है)

विक्रय मूल्य रु. 12,50,000.00 (रु. बारह लाख पचास हजार) मात्र  
बाजार मूल्य रु. 12,50,000.00 (रु. बारह लाख पचास हजार) मात्र

स्टाम्प ड्युटी	::	68,750.00
नगर निगम ड्युटी	::	12,500.00
पंचायत ड्युटी	::	12,500.00
उपकर ड्युटी	::	3,450.00
-----		
कुल ड्युटी	::	97,200.00

निरंतर .....2पर

*[Signature]*

Kiran S. J.

Smt. Vasire

देवास (म.प्र.)  
14 JUL 2021

- 1) राजस्व का अंश ..... 740350
  - 2) राजस्व का अंश ..... 134600
  - 3) राजस्व का अंश ..... 134600
  - 4) राजस्व का अंश ..... 37820
  - 5) अतिरिक्त राजस्व .....
  - 6) बचिफ का अंश ..... 1800
- 104,6700

**श्री/जी.एल. मण्डलो**  
 उप-पंचायक,  
 देवास (म.प्र.)

सुलोचना पति योगराज खत्री

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए  
 देवास जिले के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए  
 श्री/जी.एल. मण्डलो  
 27 DEC 2008  
 देवास (म.प्र.)

**श्री/जी.एल. मण्डलो**  
 उप-पंचायक,  
 देवास (म.प्र.)

Smt. Sushila

13891

//02//

विक्रय पत्र सम्पादित करने वाले:-

(विक्रेता/प्रथम पक्ष)

1. संजय पिता श्री गांविदराम जयसिंघानी, उम्र 46 वर्ष, व्यवसाय व्यापार (Pan No. : AERPJ9197C)
2. श्रीमती किरण पति श्री संजय जयसिंघानी, उम्र 44 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, (Pan No. : AHYPJ4013H) (गैर आदिवासी), निवासीगण 46, कमला नेहरु नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(जिन्हें आगे सुविधा की दृष्टि व संक्षिप्तता की दृष्टि से "विक्रेता/प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, इस संबोधन के अंतर्गत विक्रेता/प्रथम पक्ष स्वयं उनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित है।)

विक्रय पत्र जिसके पक्ष में सम्पादित किया जा रहा है:-

(क्रेता/द्वितीय पक्ष)

श्रीमती सुलोचना पति श्री योगराज खर्चे, (Pan No. : ACBPK8462D)

(गैर आदिवासी), उम्र 38 वर्ष, व्यवसाय गृहणी,

निवासी आय-204, शालीमार पाम, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पीछे, इन्दौर

(जिन्हें आगे सुविधा की दृष्टि व संक्षिप्तता की दृष्टि से "क्रेता/द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, इस संबोधन के अंतर्गत क्रेता/द्वितीय पक्ष स्वयं उनके समस्त उत्तराधिकारी सम्मिलित है।)

विक्रय की जाने वाली भूमि का विवरण:-

यह कि विक्रेता के एकमात्र स्वत्व व मालकी की ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) में स्थित प.ह.नं. 17 पर स्थित कृषि भूमि जो कि भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 24435 तथा खसरे तथा पटवारी नक्शों में संपूर्ण विवरण दर्ज है, जिसे संलग्न अभिन्यास में लाल स्याही में दर्शाया गया है, को विक्रय करने हेतु विक्रेता को समस्त विक्रय हित प्राप्त होकर विक्रेता इस विक्रय पत्र के संपादन हेतु सक्षम है, विक्रय की जाने वाली कृषि भूमि का विवरण:- निरंतर .....3 पर

Smt. Kishore

Kishore J.

उप-पंजीयक,  
देवास (म.प्र.)  
2021  
JUL

- ① संजयापिता श्री गोविन्दराम जयसिघानी
  - ② श्रीमती किरण पाठे श्री संकाय जयसिघानी
191. 46 00 मला नेदक नगर. इन्डोर (म.प्र)

विषय : ~~...~~ स्वीकार  
 ...  
 ... 12,50,000 (दोहत्तर लाख पचास हजार)  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

- ① लखनराज पिता लक्ष्मणदास पोखरी
- 27 सालींनी रांड देवास
- ② जलमकुमार पिता जगदीशचन्द पंढ्या
- 38 मिश्रीलाल नगर देवास

की कॉपि पूर्वोक्त निष्पादक / यजिपुत्रां  
 की दिवालय के नियम में की गई है।  
 ...

27 DEC 2008  
 जही/जी एल. मण्डल  
 देव-पजीयक,  
 देवास(म.प्र.)



13891

//03//

क्रमांक	सर्वे नं.	रकबा (हैक्टर में)	लगान
1.	502/2/1 पैकी	0.361	

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि शासकीय पट्टे की नहीं होकर भू-दान यज्ञ के तहत नहीं दी गई है, विक्रीत भूमिपर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 165(6)(क) का उल्लंघन होता नहीं है और ना ही मध्यप्रदेश कृषि जोत अधिनियम 1972 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। उक्त भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं होकर, अंदर की ओर स्थित है, उक्त भूमि असिंचित है।

विक्रय प्रतिफल:-

यह कि उक्त वर्णित भूमि को विक्रेता द्वारा क्रेता को रुपये 12,50,000/- (रु. बारह लाख पचास हजार) मात्र में विक्रय की है तथा उक्त राशि विक्रेता ने क्रेता से परभारे प्राप्त हो चुके हैं, अब इस विक्रय सौदे पेटे कोई राशि विक्रेता को क्रेता पक्ष से या उसके किसी भी वारसान से किसी प्रकार का कोई बकाया लेना नहीं है।

विक्रीशुदा भूमि की पूर्व की पृष्ठभूमि:-

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मुख्य मार्ग भोपाल मार्ग पर ~~नहीं~~ है तथा उक्त भूमि विक्रेतागण - संजय पिता श्री गोविंदरामजी जयसिंघानी एवं श्रीमती किरण पति श्री संजय जयसिंघानी निवासीगण इन्दौर के द्वारा मेसर्स भोमियाजी डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार - गौरव पिता श्री कैलाश निरंतर .....3 पर

Smt. chazelle

उप-पंजीयक,  
देवास (म.प्र.)

14 JUL 2021

Kiran S.J.

Smt. Khuzche.

उपरोक्त विधवा/पति/वधिवधिका

शुभा 4-11 के संतु

का निधन हेतु समझ वि. 27 DEC 2008

को किया गया।

जी.एल. मण्डल  
उप-पंजीयक  
देवास (म.प्र.)



प्रमाणित

उप-पंजीयक

देवास (म.प्र.)

Smt. choudhary

*[Handwritten signature]*

उपरोक्त विधवा/पति/वधिवधिका

अंजय के संतु

का निधन हेतु समझ वि. 27 DEC 2008

को किया गया।

जी.एल. मण्डल

Ujjwal S.J.

उप-पंजीयक  
देवास (म.प्र.)



प्रमाणित

उप-पंजीयक  
देवास (म.प्र.)

उपरोक्त विधवा/पति/वधिवधिका

वि. के संतु

का निधन हेतु समझ वि. 27 DEC 2008

को किया गया।

जी.एल. मण्डल

उप-पंजीयक  
देवास (म.प्र.)

प्रमाणित

उप-पंजीयक  
देवास (म.प्र.)



Kir...

*[Handwritten signature]*  
21/12/08

1389/

//04//

कुमारजी जैन निवासी देवास से जयें रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रमांक 1-अ/3070 दिनांक 26.10.2007 को क्रय की गई थी, जिस पर विक्रेता का एकमात्र मालकाना, हक, स्वत्व एवं स्वामित्व होने से यह विक्रय लेख बतौर मालिक की हैसियत से निष्पादित किया जा रहा है, उक्त भूमि असिंचित है।

यह कि भूमि विक्रेतागणों के स्वामित्व एवं आधिपत्यकी होकर उल्लेखित विक्रेतागणों के नाम से राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी दर्ज है तथा सदर कृषि भूमि ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास (म.प्र.) में स्थित प.ह.नं. 17 में स्थित सर्वे नं. 502/2/1 रकबा 0.411 हैक्टर में से 0.361 है. भूमि को विक्रेतागण अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय करना चाहते हैं तथा "क्रेता" भी उक्त भूमि को अपने उपयोग के लिये क्रय करना चाहते हैं, अतः "विक्रेता पक्ष" द्वारा "क्रेता पक्ष" को स्वत्व, हक व आधिपत्य प्रदान करते हुवे यह विक्रय लेख निम्नानुसार "क्रेता" के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

यह कि विक्रेता पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होने से वैधानिक मालिक एवं स्वामी होने के कारण इस सम्पत्ति को कही भी विक्रय करन या दान, बक्षीस एवं गिरवी रखने का पूर्ण अधिकार होने से आज दिनांक को अपनी वर्णित सम्पत्ति का विक्रय कर दिया है।

यह कि बिक्री की गई इस भूमि को इस लेख में आगे सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से "सदर भूमि" शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसका आशय वर्णित एवं विक्रय की जा रही भूमि से रहेगा।

यह कि यदि विक्रेता पक्ष के अधिकार दोष के कारण यदि बिक्रीत सम्पत्ति का कब्जा भविष्य में क्रेता पक्ष के पास से चला जाता है तो क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह मय हर्जे-खर्चे के अपनी राशि विधिवत विक्रेता पक्ष से वसूल करें।

निरंतर .....4 पर

Smd. 1404040.

उप-पंजीयक  
देवास (म.प्र.)

14 JUL 2008

Kiravath J.



1389)

//05//

यह कि उपरोक्त विक्रय पत्र में अंतर्विष्ट भूमि समस्त अधिकार सहित विक्रेता द्वारा इसकी चारो दिशा समझाकर इसका आधिपत्य क्रेता मालिक के रूप में क्रेता पक्ष को सौंप दिया है, जिसे क्रेता पक्ष द्वारा बतौर मालिक के रूप में प्राप्त कर लिये गये है, अब आप सदर सम्पत्ति का उपयोग, उपगोग पीढी-दर-पीढी करते जाने हेतु स्वतंत्र है, भविष्य में यदि कोई सीमा संबंधी विवाद उठता है तो उसे निपटाने की एवं हर्जे-खर्चे की संपूर्ण जवाबदारी विक्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि के इस विक्रय का सम्पादन विक्रेता के परिवार की पूर्ण सहमति से किया गया है, भविष्य में विक्रेता पक्ष एवं क्रेता पक्ष के किसी भी परिवार के सदस्य या वारिसान को एवं उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी, विक्रेता पक्ष के द्वारा किया गया यह सम्पादन विक्रेता पक्ष के समस्त वारिसो एवं उत्तराधिकारियों पर भी बंधनकारक रहेगा, भविष्य में यदि कोई अपना अधिकार संबंधी विवाद उठाता है या झगड़ा करता है तो उसे निपटाने की एवं हर्जे-खर्चे की पूर्ण जवाबदारी विक्रेता पक्ष की ही होगी।

यह कि सदर भूमि पर किसी दुसरे का भार-बोझ, बंधन या स्वत्व नहीं है व किसी बैंक, सोसायटी, तहसील एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय किसी भी विभाग का कोई कर या कर्ज लगान आदि बकाया नहीं है एवं किसी भी प्रकार का अमानत व मन्टेनेंस का कोई भार-बोझ नहीं है, ना ही किसी बैंक, सोसायटी या न्यायालय की जमानत दर्ज नहीं है और ना ही पारिवारिक, न्यायिक विवाद आदि का प्रकरण लंबित है, ना ही डिक्री, चार्ज है, यदि भविष्य में किसी ने पिछला किसी भी प्रकार का बिक्रीखत पंजीयन के पूर्व का भार-बोझ निकाला या स्वत्व कायम किया तो उसको निपटाने की जवाबदारी विक्रेता पक्ष की ही रहेगी, क्रेता को खर्चे में नहीं पड़ने दिया जावेगा।

यह कि सदर भूमि के पेटे आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कर या बिल आदि जैसे - नगर निगम कर, पंचायत कर, भू-भाटक, तहसील कर, लगान, निरंतर .....6 पर



Smt. Kharshe. Kiran S.V.

उप-पंजीयक,  
देवास (म.प्र.)

14 JUL 2001



1389)

//06//

बिजली कर, बिजली बिल या सम्पत्तिकर एवं जलकर बकाया नहीं है, भविष्य में भी बिक्रीखत पंजीयन के पूर्व का यदि किसी प्रकार का कोई कर बकाया पाया गया तो विक्रेता पक्ष को भरकर देना होगा, बिक्रीखत पंजीयन के बाद के करों एवं बिलों की पूर्ण जवाबदारी क्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि को विक्रेता पक्ष के द्वारा पूर्व में कभी भी किसी प्रकार का कोई विक्रय आदि करने का इकरार या किराये पर देने हेतु किराया चिट्ठी लेख नहीं लिखा गया है और ना ही इसे किराये पर दिया गया है, विक्रेता पक्ष द्वारा किसी प्रकार की लिखापट्टी या मौखिक वायदा पाया गया तो वह इस विक्रय पत्र निष्पादन के सामने निरस्त एवं शून्य माना जावेगा तथा उससे उन्नत होने वाले विवादों को निपटाने की संपूर्ण जवाबदारी मय हर्जे-खर्चे के विक्रेता पक्ष की रहेगी।

यह कि सदर भूमि किसी भी प्रकार की शासकियी आदि की योजना में समाविष्ट नहीं है तथा ना ही सदर भूमि किसी भी प्रकार के अग्रहण के लिये प्रस्तावित है और ना ही इसके बाबद विक्रेता पक्ष को आज दिनांक तक कोई भी सूचना पत्र प्राप्त हुआ है, यदि किसी प्रकार के तथ्य विक्रेता पक्ष के द्वारा छिपाये गये, ऐसा पाया गया तो यह विक्रेता पक्ष का दोष माना जावेगा।

यह कि अब क्रेता पक्ष बिक्रीशुदा सम्पत्ति पर से विक्रेता का नाम राजस्व विभाग व अन्य संबंधित शासकीय विभागों से कम करवाकर अपने नाम मालिक के रूप में दर्ज करवाने के अधिकार है, आपको जब भी जहाँ जहाँ हम विक्रेतागणों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी तो विक्रेता समय समय पर उपस्थित होकर आपकी मदद करेंगे।

यह कि सदर भूमि की पावती की कॉपियाँ क्रेता पक्ष को सौंप दी गई है तथा इस बिक्रीखत के सम्पादन के आधार क्रेता पक्ष अपने नाम पर नई पवती करवा सकता है, अब स्वत्व संबंधी इस बिक्रीशुदा भूमि के दस्तावेज विक्रेता के पास शेष नहीं है।

निरंतर..... 7 पर




Emo. 1408/20

Kishan S. J.

उप-पंजीयक,  
देवास (म.प्र.)

14 JUL 2014





1389

//07//

उभयपक्षों ने इस विक्रय पत्र में लिख समस्त कथनों को पढ़कर एवं समझकर स्वीकार करते हुवे अपनी पूर्ण गं न करते हुवे होश-हवास में स्वस्थ चित्त से गवाहों के समक्ष गवाह करवाते हुवे आज निगा विरता दबाव के राजी-खुशी से विक्रय कर सम्पादित एवं हस्ताक्षरित किया है, जो वैधानिक रूप से जरूरत पड़ने पर काम आवे।

दिनांक : 27.12.2008

गवाह :-

01. हस्ताक्षर..... *[Signature]*

नाम : मिश्रेश मिश्र

पता : 27, शाहीनी रोड देवास

02. हस्ताक्षर..... *[Signature]*

नाम : लाल उगाट

पता : 38 मिहोलाल नगर देवास

विक्रेता पक्ष

*[Signature]*

(संजय पिता श्री गांविदरामजी जयसिंघानी)

*[Signature]*

(श्रीमती किरण पति श्री संजय जयसिंघानी)

क्रेता पक्ष

*[Signature]*

(श्री योगराज खर्चे)

मेरे कार्यालय में उभयपक्षों के आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार टंकण कराया गया।

*[Signature]*

(मुकेश यादव), अभिभाषक, देवास



सत्य-पतिलिपि

सह-पंजीयक, देवास

27-12-08

*[Signature]*  
उभयपक्षों के  
देवास (म.प्र.)

14

ज्ञान अलख पर 1.12

क्र: संवत् 2008

1: मिति 500x700 = 3,50,000

0311x 16,00,000x2

= 9,92,000

13,46,000

5: मिति

13,46,000

27 DEC 2008

उप-पञ्जीयक, देवास (म.प्र.)

उप-पञ्जीयक, देवास (म.प्र.)

आव विद्याक

को पञ्जीयक

संख्या 683

46-54

पञ्जीयक

उप-पञ्जीयक, देवास (म.प्र.)

उप-पञ्जीयक, देवास (म.प्र.)

104670

मुद्रांक

कृषि

प्रति

वसि

व्यय

109400

उप-पञ्जीयक, देवास (म.प्र.)

27 DEC 2008

(389)

उप-पञ्जीयक, देवास (म.प्र.)

को प्राप्त

14

को प्राप्त

को प्राप्त

को प्राप्त

उप-पञ्जीयक, देवास (म.प्र.)